

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़  
आदेश पत्रक

विविध अपील वाद संख्या - 66/2010  
टाटा स्टील लि० बनाम् झरी महतो

आदेश की क्रम  
संख्या  
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख

23-03-2018

- आदेश -

अभिलेख उपस्थापित। पुकार करने पर उभय पक्ष अनुपस्थित। वाद के प्रति उभय पक्षों की अरुचि एवं उदासीनता को देखते हुए अभिलेख में संलग्न कागजातों के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है।

अवलोकन से स्पष्ट है कि माण्डू अंचल अन्तर्गत मौजा कंदला, थाना नं०-160, थाना- माण्डू खाता नं०- 01 गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। वाद में विपक्षी झरी महतो, पिता- स्व० उगन महतो, ग्राम- कंदला थाना माण्डू जिला हजारीबाग हाल जिला- रामगढ़ के नाम से पंजी- II के पृ०सं०- 63/B में खाता नं०-01, प्लॉट नं०- 105, रकबा- 1.08 एकड़ भूमि की कायम जमाबन्दी प्रथम दृष्टया में संदिग्ध प्रतीत होता है।

अतः आवेदक द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकृत करते हुए, झरी महतो, पिता- स्व० उगन महतो, ग्राम- कंदला थाना माण्डू जिला हजारीबाग हाल जिला- रामगढ़ के नाम से पंजी- II के पृ०सं०- 63/B में खाता नं०-01, प्लॉट नं०- 105, रकबा- 1.08 एकड़ भूमि की कायम जमाबन्दी को स्थगित रखते हुए अंचल अधिकारी, माण्डू को आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी, सृजन एवं भूमि के वर्तमान स्वरूप की विस्तृत बिन्दुओं की जाँच करेंगे कि किस स्थिति में गैरमजरूआ भूमि का जमाबन्दी कायम कर लगान रसीद निर्गत किया गया है तथा जमाबन्दी अवैध पाये जाने की स्थिति में दोषी कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, माण्डू भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ एवं अपर समाहर्ता, रामगढ़ को अग्रतर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। इसी मन्तव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,  
रामगढ़।

उपायुक्त,  
रामगढ़।

236/मिदि  
337/मिदि  
338/मिदि  
दि. 23.4.18